न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–59/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. शिवनाथसिंह पुत्र श्री ओखसिंह, 02. मगसिंह पुत्र श्री ओखसिंह 03. भोपसिंह पुत्र श्री ओखसिंह जातियान पुरोहित, निवासीगण ग्राम गेलावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		01. बंशीलाल पुत्र श्री पोकररामजी, जाति नाई, निवासी ग्राम सिनली चम्पावता, पोस्ट धवा, तहसील लूणी, उपतहसील झँवर, जिला जोधपुर । 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्त श्री धनपत चौधरी ।
3. अप्रार्थी संख्या दो की और से राजकीय अभिभाषक ।

आदेश

दिनांक :–21/4/2022

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम गेलावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 69/1 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 70/1 रकबा 18 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 72 रकबा 30 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 73/1 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, कुल खसरें पांच कुल रकबा 87 बीघा 07 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं । उक्त कृषि भूमियों पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के काबिज हैं । उक्त कृषि भूमियां कटाणी रास्ते से अन्दर की तरफ स्थित हैं । उक्त कृषि भूमियों में पूर्व में खसरा संख्या 68, 69, 70, 73, 76 के खातेदारों ने आपसी सहमती से रास्ता छोड़ा गया जिसके खसरा संख्या 68 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 69 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 70 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 73 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 76 रकबा 15 बिस्वा कुल खसरें 5 कुल रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा हैं । उक्त खसरान की भूमियों को रास्ते के रूप में डॉट डॉट लाईन करके राजस्व नक्शें में तरमीम की गयी । उक्त रास्ता आगे खसरा संख्या 78 तथा सरकारी खसरा संख्या 96 में से होते हुए कटाणी रास्ता 179/96 से जाकर मिलता हैं । खसरा संख्या 78 में उक्त रास्ता अत्यंतिक ही संकड़ा होने के कारण से प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को 30 फुट चौड़ा करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त रास्ते को चौड़ा करने की बजाय पूर्ण रूप से ही बन्द कर दिया तथा उक्त रास्ते को अपने खेत में से जाने से रोक दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से निवेदन किया कि आपके खसरें में से उक्त रास्ता कटाण किया हुआ नहीं हैं इसलिये उचित कीमत ली जाकर 30 फुट कटाण करवा देवें तथा उक्त रास्ता खोल देवें जिससे हमारें द्वारा छोड़े गये रास्ते का हम कटाण रास्ते से उपयोग करते हुए अपने खेत में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

आ जा सकें । अप्रार्थी संख्या एक ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीगण को यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हें मेरे खेत खसरा संख्या 78 में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं दूंगा बल्कि जो पुराना संकड़ा रास्ता था उसका भी उपयोग नहीं करने दूंगा तुम चाहे जो कानूनी कार्यवाही करो। उक्त संकड़े रास्ते को भी खुलवाने हेतु तहसीलदार लूणी के समक्ष दिनांक 30.07.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी । चूंकी प्रार्थीगण को 30 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता हैं तथा उक्त रास्ता खसरा संख्या 78 व सरकारी खसरा संख्या 96 में से कटाण किया हुआ नहीं हैं इसलिये श्रीमानजी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाने के लिये प्रस्तुत हैं । इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं इसलिये प्रार्थीगण को अपने कृषि कार्यो से वंचित होना पड़ रहा हैं तथा यह प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुतम हैं तथा हमारें द्वारा कटाण करवाये गये रास्ते से जाकर मिलता हैं तथा आगे कटाणी रास्ते से जुड़ता हैं उक्त रास्ता कटाण होने से किसी प्रकार का रास्ते का विवाद नहीं रहेगा तथा प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा । प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता खसरा संख्या 78 में से कटाणी रास्ता खसरा संख्या 179/96 तक यानि खसरा संख्या 78 व सरकारी खसरा संख्या 96 में से 30 फुट चौड़ाई में चाहा गया हैं उसे ए से बी मार्क किया जाकर नजरी नक्शें के साथ इस प्रार्थना पत्र के संलग्न किया जा रहा हैं । यह रास्ता कटाण हो जाने से प्रार्थीगण को ही नहीं बल्कि प्रार्थीगण को अड़ौस पड़ौस के सम्पूर्ण खातेदारों के लिये रास्ते की समस्या का समाधान हो जायेगा वर्तमान में हमारें अड़ौस पड़ौस के सभी खातेदारों को रास्ते की गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई हैं जिसका त्वरित समाधान किया जाना अत्यांधित आवश्यक हैं ।

अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी की तरफ से प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ जवाब भी पेश किया गया । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों एवं जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पद का खण्डन किया गया करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार लूणी को जरिये कोर्ट कमांक:–2020/107 दिनांक 24.09.2020 को तहरीर जारी की गयी जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये कमांक/भू.अ./2021/371 दिनांक 08.02.2021 को रिपोर्ट पेश की गयी । तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता एक मात्र हैं तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना जाहिर किया गया साथ ही प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता आवश्यक एवं लघुतम रास्ता भी होना जाहिर किया गया तथा प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता में उपयोग में होने वाली भूमि का रकबा 30 फीट चौड़ा अनुसार रास्ता हेतु खसरा संख्या 78 का रकबा 00.18 बीघा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

एवं खसरा संख्या 96 रकबा 00.01 बीघा कुल रकबा 00.19 बीघा होना बतलाया गया । साथ ही मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2021 की मौका फर्द भी पेश की गयी जिसमें वांछित रास्ते का नजरी नक्शा भी पेश किया गया एवं तहसीलदार लूणी द्वारा डीएलसी दर की फोटो प्रति भी पेश की गयी । उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी बाबत् मौका रिपोर्ट के संबंध में आपत्तियां भी पेश की गयी ।

बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी के सम्बन्ध में अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र केवल मात्र मुकद्धमें को लम्बा करने की गरज से पेश किया जाना बताया गया । अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । 251 ए प्रार्थना पत्र में मूल रूप से ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिये कि वांछित रास्ता सबसे लघुतम हैं अथवा नहीं, दूसरा यह कि वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं अथवा नहीं । उक्त दोनो ही बिन्दुओं के सम्बन्ध में तहसीलदार लूणी द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी हैं जिसमें यह बतलाया गया हैं कि वांछित रास्ता ही एक मात्र हैं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वांछित रास्ता आवश्यक एवं सबसे लघुतम हैं । ऐसी परिस्थितियों में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाना न्यायोचित हैं जो कि खारिज किया जाता हैं । चूंकी प्रार्थीगण की जोत में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने बंटवाड़ें में भी आने जाने हेतु रास्ता कटाण करवाया हुआ हैं जो कि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 78 में जाकर बंद हो जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण द्वारा जो ए से बी रास्ता चाहा गया हैं वह वर्तमान राजस्व नक्शें में कटाण नहीं हैं । तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता ही सबसे लघुतम एवं निकटतम हैं तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं हैं तथा तहसीलदार लूणी ने भी अपनी अनुषंशा इस प्रस्तावित रास्ते के अनुसार ही की हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से 30 फुट के स्थान पर 24 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकार किये जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण की जोत में आने जाने हेतु ग्राम गेलावास, तहसील लूणी के खसरा संख्या 78 एवं 96 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 24 फुट का रास्ता प्रार्थीगण की जोत में आने जाने हेतु उपलब्ध करवाया जाता हैं । खसरा संख्या 78 में से 24 फुट चौड़ाई अनुसार रकबा 14 बिस्वा 8 बिस्वांसी एवं खसरा संख्या 96 में से 24 चौड़ाई फुट अनुसार रकबा 16 बिस्वांसी यानि कुल रकबा 15 बिस्वा 04 बिस्वांसी रकबा बनता हैं । उक्त रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु डीएलसी दर प्रतिबीघा अधिकतम 72,000/– अक्षरें बहतर हजार रूपयें होने से खसरा संख्या 78 का रास्ते में उपलब्ध करवाये जाने की क्षतिपूर्ति रूपयें 51,840/– अक्षरें इक्यावन हजार आठ सौ चालीस रूपयें की डी.डी. अप्रार्थी संख्या एक के नाम से तथा खसरा संख्या 96 का रास्ते में उपलब्ध करवाने जाने की क्षतिपूर्ति रूपयें 2,880/– अक्षरें दो हजार आठ सौ अस्सी रूपयें राजकोष की डी.डी. बनाकर प्रार्थीगण पेश करें । तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार लूणी रास्ते का इन्द्राज करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी